अंन्तिम डिकरी व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास सत्यवीर यादव आरएएस

हरिसिंह आदि बनाम नरेन्द्रकुमार आदि

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषण, स्थायी निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती

मुकदमा नं0 144/2016/दावा निर्णय दिनांक 11.09.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू सत्यवीर यादव आरएएस बहाजरी श्री नंदलाल धायल वकील मिनजानिब मुद्दई व –– मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, तहसीलदार, दांतारामगढ के पत्रांक भू.अ./17/2112 दिनांक 04.09.2017 के द्वारा प्राप्त होने पर अंतिम डिकरी निम्न प्रकार से दी जाती है:–

1– ग्राम नीमावास प.मं. मोटलावास

खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
1. नरेन्द्रकुमार पुत्र बाबूलाल पोद्दार जाति महाजन हि. 11/20 कैलाश चन्द पुत्र मक्खनलाल जाति महाजन नि. दांता हि. 9/20 खातेदार	328/1 331/1090	1.95 है0 0.25 है0	बारानी चतुर्थ बारानी चतुर्थ	3.90 0.50
	किता– 2	2.20 है0	–	4.40
2. हरिसिंह रणजीतसिंह पि0 कान सिंह हि.ब.हि. 1/2 प्रकाश सिंह दतक पुत्र छीतर सिंह हि. 1/2 जाति दरोगा सा.देह खातेदार	328/2	1.10 है0	बारानी चतुर्थ	2.20
	किता–1	1.10 है0	–	2.20
3. नरेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल पोद्दार जाति महाजन हि. 11/20 कैलाश चन्द पुत्र मक्खन लाल जाति महाजन नि. दांता हि. 9/20 दर हि. 2/3 हरि सिंह, रणजीत सिंह पि. कान सिंह हि.ब.हि. 1/6 प्रकाश सिंह दतक पुत्र छीतर सिंह हि. 1/6 जाति दरोगा सा.देह	328/3	0.07 है0 गै.मु.रास्ता	बारानी चतुर्थ	0.14
	किता 1	0.07 है0 गै.मु. रास्ता	–	0.14
	किता–1	0.07 है0	–	0.14

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर को तहरीर जारी हो।

बीज ..... मुबलिग..... बाबत ..... खर्चा इस मुकद्मे के मय शूद व शरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 सितम्बर, 2017 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत

ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	8	00	स्टाम्प वकायलतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक	4	00			
मीजान	13	00	मीजान		

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास सत्यवीर यादव, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 144/2016/दावा

1. हरिसिंह पुत्र कानसिंह उम्र 32 वर्ष जाति दरोगा निवासी ग्राम नीमावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. रणजीतसिंह पुत्र कानसिंह उम्र 28 वर्ष जाति दरोगा निवासी ग्राम नीमावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
3. प्रकाशसिंह दतक पुत्र छीतरसिंह उम्र 34 वर्ष जाति दरोगा निवासी ग्राम नीमावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—वादीगण

ब ना म

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल पोदार उम्र 43 वर्ष जाति महाजन निवासी ग्राम दांता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. कैलाशचन्द्र पुत्र मक्खनलाल उम्र 64 वर्ष जाति महाजन निवासी ग्राम दांता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर
4. उप पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषण, स्थायी निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थिति—

1. श्री नंदलाल धायल वकील वादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक— 11.09.2017

(सत्यवीर यादव)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास सत्यवीर यादव, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 144/2016/दावा

1. हरिसिंह पुत्र कानसिंह उम्र 32 वर्ष जाति दरोगा निवासी ग्राम नीमावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. रणजीतसिंह पुत्र कानसिंह उम्र 28 वर्ष जाति दरोगा निवासी ग्राम नीमावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
3. प्रकाशसिंह दतक पुत्र छीतरसिंह उम्र 34 वर्ष जाति दरोगा निवासी ग्राम नीमावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—वादीगण

ब ना म

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल पोदार उम्र 43 वर्ष जाति महाजन निवासी ग्राम दांता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. कैलाशचन्द्र पुत्र मक्खनलाल उम्र 64 वर्ष जाति महाजन निवासी ग्राम दांता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर
4. उप पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषण, स्थायी निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थिति—

1. श्री नंदलाल धायल वकील वादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक— 26.04.2017

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि हाल खसरा नं. 328, 331/1090 किता 2 कुल रकबा 3.37 है0 वाके ग्राम नीमावास प.मं. मोटलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त कृषि आराजियात में से 1/6 हक हिस्सा व कब्जा काश्त वादी सं. 1 व 2 का तथा 1/6 हक हिस्सा वादी सं. 3 का है शेष 2/3 हक हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 व 2 का है। वादाधीन कृषि आराजियात का पक्षकारान ने मौके पर मौखिक रूप से बंटवारा कर रखा है। खसरा नं. 328 की उतरी पूर्वी साईड की भूमि बंटवारे में वादीगण को प्राप्त है जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त है। वादीगण ने अपनी उक्त कब्जा शुदा भूमि को उपजाऊ बना रखा है तथा अपनी भूमि के मेड़बंदी कर अपने उपयोग तथा उपभोग में लेते चले आ रहे है। वादाधीन कृषि आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त राजस्व रिकार्ड की भूमियां है जिनका पक्षकारान ने मौके पर मौखिक रूप से बंटवारा कर रखा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में मौके के मुताबिक अंकन नहीं हो रखा है। संयुक्त राजस्व रिकार्ड की आड़ में प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादीगण को बंटवारे में प्राप्त उक्त कब्जे काश्त एवं उपयोग तथा उपभोग की भूमियों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है तथा वादीगण के हक हिस्से की भूमियों के विशिष्ट भूभाग पर बलात् कब्जा कर भूमाफिया गिरोह

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

के व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा है। वादीगण द्वारा वादाधीन भूमियों का मौके पर किये गये बंटवारा के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर पृथक पृथक खाता करवाने के लिए प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 से आग्रह किये जाने के बावजूद भी प्रतिवादीगण कोई रूचि नहीं ले रहे है इसलिए वादीगण को बंटवारे में प्राप्त भूमि का मौके पर किये गये बंटवारे के मुताबिक विभाजन करवाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक उपचार न होने से दावा बाबत बंटवारा एवं रिकार्ड दुरूस्ती का प्रस्तुत करना लाजिम हुआ है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के मध्य दावे की चरण सं. 2 के मुताबिक मौके पर किये गये मौखिक बंटवारे अनुसार बंटवारे में वादीगण को प्राप्त भूमियों का एकांकी काबिज खातेदार उद्घोषित किया जाना प्रार्थनीय है तदहेतु दावा बाबत उद्घोषणा का प्रस्तुत किया जाना लाजिम हुआ है। वादाधीन भूमियों का विधिवत रूप से राजस्व रिकार्ड में मौके पर किये गये बंटवारे के अनुसार अंकन करवाकर राजस्व रिकार्ड पृथक करवाने का आग्रह करने के बावजूद भी प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 राजस्व रिकार्ड में विभाजन करने के लिए इंकार कर रहे है तथा अपनी मनमर्जी से भूमियों के विशिष्ठ भूभाग पर बलात् कब्जा कर भूमाफिया गिरोह के व्यक्तियों को बेचान, हस्तांतरण करने पर आमादा है जबकि मौके पर किये गये बंटवारे अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाये बिना प्रतिवादी सं. 1 व 2 को ऐसा करने का विधि में अधिकार सुरक्षित नहीं है इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाया जाना वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित भूमियों का मुताबिक वादीगण के हक हिस्से के मौके पर किये गये बंटवारे अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाये बिना किसी विशिष्ट भूभाग पर बलात् कब्जा करने, निर्माण करने, वादीगण के उपयोग तथा उपभोग में हस्तक्षेप करने से भूमियों की मौका सूरत में तब्दीली करने से प्रतिवादीगण को प्रतिबंधित फरमाया जाना प्रार्थनीय है। तद्हेतु दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जाना लाजिम हुआ है। वादीगण को वाद कारण आज से करीब 10–15 रोज पूर्व वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 1 व 2 को मौके पर किये गये बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में विभाजन के लिए आग्रह करने के बावजूद बंटवारा करने से इंकार करने एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा अपनी मनमर्जी से विशिष्ट भूभाग पर बलात् कब्जा करने तथा भूमाफिया गिरोह के व्यक्तियों को बेचान करने की धमकी दिये जाने के कारण तथा वादीगण के हक हिस्से की भूमियों में हस्तक्षेप करने के कारण उत्पन्न हुआ जो क्षण प्रतिक्षण निरंतर रूप से चालू है। प्रतिवादी सं0 3 वादग्रस्त भूमियों का भूधारक होने से व प्रतिवादी सं. 4 वादग्रस्त भूनियों का प्रलेख पंजीयन अधिकारी होने से बतौर प्रतिवादीगण पक्षकार संयोजित किये है। प्रतिवादी सं. 3 व 4 लोकसेवक है जिनके विरूद्ध वाद संस्थित करने से पूर्व 2 मा का विधिक नोटिस दिये जाने का कानूनी प्रावधान है किन्तु उक्त प्रकरण अति आवश्यक प्रकृति का होने से 2 माह का नोटिस देकर वाद प्रस्तुत करने से वादीगण का वाद नियोजन का उद्देश्य ही विफल हो जावेगा तथा वादीगण हमेशा के लिए अपनी बंटवारे में प्राप्त भूमियों से वंचित हो जायेगे इसलिए बिना 2 माह का विधिक नोटिस दिये माननीय न्यायालय से पृथक से धारा 80(2) सीपीसी के तहत आवेदन प्रस्तुत कर वाद नियोजन की अनुमति से हस्तगत वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमियां ग्राम नीमावास प.मं. मोटलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित होने से प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है। अंत में यह इश्तदुआ चाही है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि

वादी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

आराजियात का वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित व मौके पर किये गये मौखिक बंटवारे के मुताबिक वादीगण को खसरा नं. 328 रकबा 3.12 है0 में से उतरी पूर्वी दिशा की तरफ वादीगण को बंटवारे में प्राप्त 1/3 भाग की भूमि का विभाजन कर वादीगण को पृथक से खाता दर्ज कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि आराजियात का वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित व मौके पर किये गये मौखिक बंटवारे के मुताबिक वादीगण को बंटवारे में प्राप्त भूमि का वादीगण को एकाकी काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावें। वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि आराजियात का वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित व मौके पर किये गये मौखिक बंटवारे के मुताबिक वादीगण को बंटवारे में प्राप्त 1/3 भाग की उतरी पूर्वी दिशा की भूमि का राजस्व रिकार्ड में विभाजन कर वादीगण का पृथक से खाता दर्ज कर वादीगण को एकाकी काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किये जाने पर वादीगण को बंटवारे में प्राप्त भूमियों के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने, सींव नींव खुर्द बुर्द करने, कब्जा काश्त में बाधा उत्पन्न करने से प्रतिवादीगण स्वयं परिजन, नौकर प्रतिनिधि को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें। खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 से दिलवाया जावें। वाद पत्र के साथ नकल जमाबंदी संवत् 2072–75 ग्राम नीमावास की पेश की गई है।

2. वाद पत्र पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादीगण ने मौका एवं रिकार्ड अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु निवेदन किया गया।

3. बहस वादीगण के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील वादीगण ने मौके एवं रिकार्ड के अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर वाद पत्र की मद सं. 1 में वर्णित भूमियों का वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित अनुसार मौके एवं रिकार्ड अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विधिवत बंटवारा कर प्रस्ताव मंगवाने का निवेदन किया गया।

4. हमने वादीगण के योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम नीमावास प.मं. मोटलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता सं. 85 के खसरा नं. 328, 331/1090 किता 2 कुल रकबा 3.37 है0 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमियां साबित है एवं वादीगण का हिस्सा 1/3 मुताबिक जमाबंदी अनुसार विवादित आराजियात में साबित है। चूंकि वादीगण अपने हिस्से का कब्जे काश्त एवं मौका एवं रिकार्ड अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवाना चाहते है। अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है ग्राम नीमावास प.मं. मोटलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के खाता सं. 85 के खसरा नं. 328, 331/1090 किता 2 कुल रकबा 3.37 है0 का मौके एवं रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक, खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्राथमिक डिक्री निम्न शर्तो के अनुसार जारी की जाती है:–

1. यदि पक्षकारान ने बाहमी बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है तो उसी के अनुसार प्रस्ताव भिजवावें।

Scanned by CamScanner

2. पक्षकारान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।
3. यदि उपरोक्त बिन्दु सं. 1 व 2 द्वारा पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना संभव नहीं हो तो उपरोक्त वर्णित आराजी का पक्षकारान के बीच अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा कर बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित बंटवारा दर्शाते हुए बटा नम्बर डालकर प्रस्ताव तहसीलदार, दांतारामगढ के माध्यम से भिजवावें तथा पक्षकारान को नोटिस देकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में नियत तिथि दिनांक 25.05.2017 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर एक प्रति प्रस्ताव के साथ भिजवावें।

उपरोक्तानुसार प्राथमिक डिकी जारी हो। वादी मौका कमिश्नर फीस 200/– अदा करेंगे। इस पत्रावली में तहरीर जारी होकर बइंतजार बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा के दिनांक 25.05.2017 को पेश हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 26.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यवीर यादव)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास सत्यवीर यादव, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 144/2016/दावा

1. हरिसिंह पुत्र कानसिंह उम्र 32 वर्ष जाति दरोगा निवासी ग्राम नीमावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. रणजीतसिंह पुत्र कानसिंह उम्र 28 वर्ष जाति दरोगा निवासी ग्राम नीमावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
3. प्रकाशसिंह दतक पुत्र छीतरसिंह उम्र 34 वर्ष जाति दरोगा निवासी ग्राम नीमावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—वादीगण

ब ना म

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल पोदार उम्र 43 वर्ष जाति महाजन निवासी ग्राम दांता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. कैलाशचन्द्र पुत्र मक्खनलाल उम्र 64 वर्ष जाति महाजन निवासी ग्राम दांता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर
4. उप पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषण, स्थायी निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती

स्थिति—

1. श्री नंदलाल धायल वकील वादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक— 26.04.2017

(सत्यवीर यादव)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी,दाँतारामगढ

Scanned by CamScanner

प्राथमिक डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास सत्यवीर यादव, आरएएस

बनाम

हरिसिंह आदि — नरेन्द्रकुमार आदि

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 144/दावा/2016 — निर्णय दिनांक 26.04.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू सत्यवीर यादव आरएएस बहाजरी श्री नंदलाल धायल वकील मिनजानिब मुद्दई एवं — मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है ग्राम नीमावास प.मं. मोटलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के खाता सं. 85 के खसरा नं. 328, 331/1090 किता 2 कुल रकबा 3.37 है0 का मौके एवं रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक, खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्राथमिक डिक्री निम्न शर्तों के अनुसार जारी की जाती है:–

1. यदि पक्षकारान ने बाह्मी बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है तो उसी के अनुसार प्रस्ताव भिजवावें।
2. पक्षकारान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।
3. यदि उपरोक्त बिन्दु सं. 1 व 2 द्वारा पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना संभव नहीं हो तो उपरोक्त वर्णित आराजी का पक्षकारान के बीच अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा कर बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित बंटवारा दर्शाते हुए बटा नम्बर डालकर प्रस्ताव तहसीलदार, दांतारामगढ के माध्यम से भिजवावें तथा पक्षकारान को नोटिस देकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में नियत तिथि दिनांक 25.05.2017 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर एक प्रति प्रस्ताव के साथ भिजवावें।

उपरोक्तानुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो। वादी मौका कमिश्नर फीस 200/– अदा करेंगे। इस पत्रावली में तहरीर जारी होकर बइंतजार बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा के दिनांक 25.05.2017 को पेश हो। बीज ..... मुबलिग..... बाबत ..... खर्चा इस मुकद्मे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 अप्रेल, 2017 को जारी की गई।

मोहर — दस्तखत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

ओहदा

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	8	00	स्टाम्प वकायलतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक	4	00			
मीजान	13	00	मीजान		

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner